RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-09
September-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i09.040

हिंदू एवं मुसलमानों में बिरादरी व्यवस्था

डॉ0 कुमार विष्णु रंजन

इतिहास विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

छुआ–छुत का विचार भारतीय मुसलमान समुदाय में हिंदू समाज की तुलना में काफी हद तक कम है। इसकी एक खास वजह यह हो सकती है कि जिस धर्म–कर्म के सिद्धांत को हिन्दू धर्म मान्यता देता है, वह इस्लाम धर्म में कम मात्रा में है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना भी सही नहीं होगा कि छुआ–छुत और ऊँच–नीच का विचार व्यवहारिक स्तर पर भारतीय मुसलमान समुदाय में है ही नहीं, बल्कि सच्चाई यह है कि मुसलमान समूह में भी छुआ–छुत और ऊँच–नीच का भेदभाव पूर्ण रूप से विद्यमान है। यानी उनका तर्क था कि भारतीय मुसलमान समाज में जातियों से मिलते वर्ग अवश्य हैं मगर चूंकि उनके लिए अक्सर ''बिरादरी'' शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए भारतीय मुसलमान समुदाय के स्तरीकरण को ''बिरादरी'' व्यवस्था, नस्लीय स्तरीकरण कहकर परिभाषित करना ज्यादा उचित होगा। धर्मिक मुल्ला मौलबी मुसलमानों को इस बात के लिए भयभीत करते हैं कि वे अपनी स्थिति को अल्लाह की देन समझ कर स्वीकार कर लें। अन्यथा कयामत के दिन उन्हें जहनुम में जाना होगा। रांची के मुसलिम समाज के एक सदस्य के रूप में मुसलमानों को इस तथ्य की चेतना थी कि जहाँ इस्लाम ने अपने अनुयायियों मे पूर्ण समानता की परिकल्पना की थी वहीं मुस्लिम जिस समाज में रहता था वह अलग–अलग, सजातीय विवाह करने वाले समूहों में संगठित था। इनको स्थानीय भाषा में बिरादरी कहा जाता है। और ये जातिप्रथा से कुछ मिलते–जुलते हैं। हम जिस जातिप्रथा से परिचित हैं वह मुख्यतः एक अखिल हिंदू संवृत्ति मानी जाती है जिसका आद्य 'प्रतिरूप' हिंदू समाज है। लेकिन मुस्लिम समाज पर हुए कुछ अध्ययन संकेत देते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक भागों में मुसलमानों के बीच भी जातिप्रथा जैसी विशेषताएँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश पर गौस अंसारी (1960) और रघुराज गुप्ता (1956), गुजरात पर मिश्र (1964), पंजाब और बंगाल पर जेड खान (1968) तथा और भी हाल में भारत के विभिन्न भागों में इम्तियाज अहमद (1973) के अध्ययन इसी श्रेणी में आते हैं।

संरचना और प्रकार्यों की दृष्टि से मुसलमानों की 'बिरादरी व्यवस्था' की जातिप्रथा के हिंदू 'प्रतिरूप' से किसी हद तक तुलना की जा सकती है, इस सवाल से हमेशा उलझन का शिकार में फंस जाते हैं। अनेक विद्वानों ने मुसलमानों में जो सोपान देखा है उसकी क्या भाषा है और उसके क्या औचित्य दिए जाते हैं, इसे परखना भी अहमियत रखता है, कारण कि इस्लाम लगातार सभी मुसलमानों की समानता का ऐलान करता है। क्षेत्र की वास्तविक स्थिति में इस समस्या की छानबीन के लिए एक मुसलिम बहुल गाँव को अनुसंधान के लिए चुना गया जिसका नाम इत्की है यह दक्षिण बिहार के रांची नगर से कोई 25 किमी उत्तर–पश्चिम में है। इसके अलावा नगर के एक मुस्लिम बहुल इलाके हिंदपीड़ी को चुना।

इत्की और हिंदपीड़ी की उपसांस्कृतिक संरचना इत्की अनेक उपसांस्कृतिक समूहों वाला गाँव है पर बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है। यहाँ 186 मुसलमान परिवार हैं जबकि हिंदु परिवार 56 और ओरांव आदिवासी परिवार 9 हैं (तालिका 1 में देखें)। इत्की की कुल परिवार 1,587 है जो कुल 251 परिवारों में बंटि हुई है। तालिका 2 और 3 में मुसलिम और हिंदू परिवारों का विश्लेषण उनकी बिरादरी–जाति की संबद्धताओं के आधार पर किया गया है। आदिवासियों में केवल ओरांव परिवार हैं। इत्की के आसपास के गाँवों में मुख्य आबादी हिंदुओं और आदिवासी समूहों (मुख्यतः ओरांवों) की है अगरचे इनमें से कुछ में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है।

राँची नगर के केंद्र में स्थित हिंदपीड़ी में मुसलमान आबादी में बहुसंख्यक हैं। एक कच्चे अनुमान के अनुसार हिंदपीड़ी में कोई 1,000 मुसलिम परिवार हैं जो सजातीय विवाह करने वाले 12 उपसांस्कृतिक समूहों में विभाजित हैं। इनमें संख्या में सबसे अध्कि इदरीसी या दर्जी हैं। इसके बाद अंसारियों का स्थान आता है। इराकी या कलाल, पठान, सैयद, राईन या कुंजड़े, गद्दी, दफाली, भंगी या हलालखोर, नाई, हवारी या धोबी, और चिकवे दूसरे मुसलिम उपसांस्कृतिक समूह है।

आम तौर जातियों में बंटे हिंदू गांवों कें विपरीत गाँवों और राँची नगर दोनों में आने जाने पर पहली छपी सामाजिक अंतःक्रिया के सोपानी पहलू ओंपर इस तरह जोर दिया कि बिरादरियों की आपासी अंतःक्रिया के सोपानी पहलू नजरों से ओझल हो जाते थे।

धर्मिक कार्यों के दौरान बिरादरियों की आपसी अंतःक्रिया की इस जाहिर तौर पर समतावादी प्रकृति के कारण अपने क्षेत्र कार्य के आरंभिक चरण में इसी नतीजे पर पहुँचा गया कि मसावान अर्थात् तमाम मुसलमानों की समानता के उपदेश ही नहीं दिए जाते बल्कि उस पर अमल भी किया

RRIJM 2015, All Rights Reserved

जाता है। जातिकरण स्तरीकरण की मौजूदगी से इनकार करते हुए प्रत्यर्थी (रेस्पांडेंट्स) अपने समाज में अमीर और गरीब के आधार पर दोरूखें विभाजन की मौजूदगी के संकेत देने थे। उनका कहना था कि मुसलमानों में श्रेणी का निश्चय वैयक्तिक आधर पर और इस ढर्रे पर किया जाना था कि क्या कोई व्यक्ति शरीयत के अनुसार जिंदगी गुजारता है या नहीं। सभी मुसलमानों की आदर्श समानता के समर्थन में कुछ पढ़े–लिखे प्रत्यथिर्यों ने कुरआन की एक आयत का हवाला भी दिया जिसमें सभी ईमान वालों की समानता की बात कही गई थी।

इस तरह आम तौर पर स्थानीय मुसलमान एक मुस्लिम शोधार्थी के सामने भी अपने बीच जातिप्रथा की मौजूदगी से इनकार करते थे और जोर देकर कहते थे कि उनकी बिरादरियाँ जातियाँ नहीं है। इनका कहना था कि इस्लाम में कोई जातिप्रथा नहीं है और दावा करते थे कि तमाम मुसलमान, उनकी बिरादरी चाहे जो हो, साथ नमाज पढ़ सकते हैं और आपसी खानपान में कोई पाबंदी नहीं बरतते। बिरादरी के अंदर विवाह की प्रथा को छिपाने की कोशिश करते थे और अगर उसका जिक्र होता था तो कहते थे कि बिरादरियों के बीच विवाह वर कोई औपचारिक प्रतिबंध नहीं है, बल्कि इसलाम इसे बढ़ावा देता है। शुरू में बिरादरियों के बीच सोपान के अस्तित्व से भी इनकार किया गया। इस तरह स्थानीय मुसलमान अपने समाज की 'आदर्श' समतावादी धरणा पर बार–बार जोर देते थे, और आसानी से यह बात भुला देते थे कि उसके बीच एक सामाजिक सोपान सचमुच मौजूद है। यह बात भी यकीनन देखी गई कि समानता की इस आदर्श धरणा का ऐलान एक सिरे से बेबुनियाद नहीं था। वास्तव में उसका एक खासा प्रकार्यात्मक मूल्य है जो उनकी जिंदगी के कुछ सामाजिक और धर्मिक पहलुओं में व्यक्त होता है। जहां तक धर्मिक क्षेत्रा का संबंध है, उनका आदर्श प्रतिरूप निश्चित ही पूरी तरह सच है, पर सामाजिक जीवन के दूसरे क्षेत्रों के लिए यह उसी हद तक सच नहीं है। फिर भी जब 'आदर्श' और 'व्यवहार' के बीच के अंतर स्पष्ट रूप से दिखाए गए तो उन्होंने अपने 'क्रियात्मक प्रतिरूप' के सामाजिक तथ्य को स्वीकार किया–जैसे बिरादरी में विवाह का रिवाज, छोटे–बड़े की बातें, और कुछ समूहों के सापेक्ष दूसरे समूहों द्वारा खानपान में बिरादरी के आधार पर दूरी बनाए रखने का रिवाज।

'जात' या 'जाति' शब्द का उपयोग स्थानीय मुसलमानों और हिंदुओं, दोनों में सजातीय विवाह करने वाले उपसांस्कृतिक समूहों के लिए किया जाता है। लेकिन अपने समाज के उपसांस्कृतिक तत्व तथा एक व्यापकतर क्षेत्रों में फैले वृहत्त उपसांस्कृतिक समूहों की स्थानीय इकाइयों, दोनों के लिए मुसलमान 'बिरादरी' शब्द के प्रयोग को तरजीह देते है। गाँव के अंदर और बाहर पूरे मुसलिम समुदाय के लिए मुसलमानों में प्रचलित एक और शब्द 'कौम' है।

बिरादरी शब्द के भरपूर अर्थ को लें तो यह ठीक–ठीक जाति शब्द का पर्यायवाची नहीं है। फिर भी उसकी आंतरिक संरचना में जातिप्रथा की बुनियादी विशेषताएँ दिखाई देती हैं–जन्म के आधर पर सदस्यता का निर्धारण, सजातीय विवाहों द्वारा समूह की सीमाओं की रक्षा, और समूह की पंचायतें तथा पेशेवर विशेषीकरण सभी मौजूद हैं। लेकिन सजातीय विवाह के नियमों के उल्लंघन पर एक समान सजा नहीं दी जाती। यह सजा मात्रा निंदा से लेकर बिरादरी से बाहर करने तक हो सकती है। वे ऊंची बिरादरी वाले बिरादरियों के बीच मेलजोल और खानपान की दूरी बनाए रखते है जो खुद को कुछ और बिरादरियों से सामाजिक रूप से श्रेष्ठ समझते हैं। यह बात इतनी अहम है कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऊंची और नीची बिरादरी वाले समूहों की जीवनशैलियाँ भी अलग–अलग देखी जा सकती हैं। बिरादरियों के बीच एक सोपान की धरणा विवादास्पद होते हुए भी, अस्तित्वमान कही जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. अहमद, जरीना (1962) : मुसलिम कास्ट इन उत्तर प्रदेश, इकानामिक वीकली, 14 पृ. 325–36।
2. अंसारी गौस (1956) : मुसलिम कास्ट इन इंडिया, ईस्टर्न एंथ्रोपोलोजिस्ट, पृ. 104–11।
3. खान, जिल्लुर (1968) : कास्ट एंड मुसलिम पेजेंट्री इन इंडिया एण्ड पाकिस्तान, मैन इन इंडिया, 47, पृ. 138–48।
4. गुप्ता, रघुराज (1956) : कास्ट रैंकिंग एंड इंटर–कास्ट रिलेशंस एमंग दि मुसलिम ऑफ ए विलेज इन नाथ–वेस्टर्न यू पी, ईस्टर्न एंथ्रोपोलोजिस्ट, पृ. 30–42।
5. थर्सटन, एडगर (1909) : कास्ट्स एंड ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया, सात खंडों में, चेन्नई : गवर्नमेंट प्रेस, पृ. 132।
6. बोस, एन के (1958) : सम एस्पेक्ट्स आपफ कास्ट इन बंगाल, मैन इन इंडिया, 38, पृ. 73–97।
7. मैरियट, मैकिम (1960) : कास्ट रैंकिंग एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन पफाइव रीजंस आपफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दकन कॉलेज मोनोग्रापफ सिरीज नंबर 23, पूनाः दकन कॉलेज पोस्ट–ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीच्यूट, पृ0 145।

RRIJM 2015, All Rights Reserved